बुरा मजाक - बहेस बाज़ी - वादा खिलाफी

मौलाना जलील अहसन नदवी रह. राहे अमल हिन्दी.

‘नोट:- हदीष की रिवायत का खुलासा है.’

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहिम

बगैर तहकीक के बात को फैलाना

{१} मुस्लिम; रावी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसउद रदी.

खुलासा- शैतान आदमी के भेष में काम करता है वो लोगों के पास आकर झूठी बातें बयान करता है, फिर लोग जुदा हो जाते है (यानी मजलिस खत्म हो जाती है और ये लोग फैल जाते है) तो उन्मे से एक आदमी कहता है की मैने ये बात एक आदमी से सुनी है जिस्का चेहरा तो में पहचानता हूं लेकिन नाम नहीं जानता. इस हदीस में मुसलमानों को इस बात से रोका गया है की कोई बात बगैर तहकीक के कही जाए हो सकता है जिसने वो बात कही है झूठा और शैतान हो. अगर बगैर तहकीक के जमाअत में बातें बयान करने का रिवाज चल पडे तो उस्से बहुत से तबाह करने वाले नुकसान हो सकते है

इसलिए खबर देने वाले के बारे में तहकीक करो ये शख्स कैसा है. अगर साबित हो जाए की वो झूठा है तो उस्की बात को ठुकरा दो.

बहेस बाज़ी - वादा खिलाफी

{२} अबू दाउद; रावी हज़रत अबू उमामा रदी.

खुलासा- रसूलुल्लाहﷺ ने फरमाया जो शख्स मुनाज़रह (मज़हबी बहस) ना करे अगरचे वो हक पर हो, तो में उस्के लिए जन्नत के हिस्सो में से एक घर का ज़िम्मा लेता हूं, और जो झूठ ना बोले अगरचे हंसी के तौर पर ही क्यों ना हो तो में उस्के लिए जन्नत के बीच में एक घर का जिम्मा लेता हूं और जो अपने अखलाक को बेहतर बना ले तो में उस्के लिए जन्नत के सब्से उंचे हिस्से में घर का जिम्मा लेता हूं.

{३} तिर्मेजी; रावी हज़रत इबने अब्बास रदी.

खुलासा- रसूलुल्लाहﷺ ने फरमाया तू अपने भाई से मुनाज़रा (बहस) ना कर और ना उस्से मज़ाक कर और ना ही वादा करके उस्की खिलाफवर्ज़ी कर. मुनाज़रा की असल रूह ये

होती है की किसी तरह अपने हरीफ को चित किया जाए, मनाज़िरे के अन्दर ये जज़्बा कम होता है की नरमी के साथ अपनी बात कहे. यहा जिस हंसी और दिलल्गी से रोका गया है उस्से ऐसी दिलल्गी मुराद है जिस्से आदमी का दिल दुखे और मज़ाक करने वाले का मकसद उस्की शख्सियत को गिराना और बेईज्ज़त करना है, खुशतबई और जिराफत से नहीं रोका गया है लेकिन ये याद रहे की खुशतबई और नाजाइज़ मज़ाक व दिलल्गी में बाल बराबर फरक है इसलिए बडे एहतियात की ज़रूरत है.

{४} अबू दाउद; रावी हज़रत जैद बिन अरकम रदी.
खुलासा- रसूलुल्लाहﷺ ने फरमाया की अगर आदमी अपने भाई से वादा करे और उस्की नियत उस वादे को पूरा करने की हो, फिर वो पूरा ना कर सका और मुकर्रर वकत पर ना आया तो वो गुनहगार ना होगा.